

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 54/2023

अरुण निवासी मकान नं0 40, निवासी गोवली, पो0 खुडानिया, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू, पिन कोड  
333031, मो0न0 9998319954

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू।


सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 05.04.2023

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 14.03.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 54/2023 पर दिनांक 14.03.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2023/1096-97 दिनांक 14.03.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू ने पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/ सू0अ0 /23/359 दिनांक 22.03.2023 द्वारा अवगत कराया है कि अरुण पुत्र प्रेमसिंह, निवासी मकान नं0 40, निवासी गोवली, पो0 खुडानिया, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे 24.02.2023 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16( 4 )( 5 ) न्याय/ सू0अ0 /23/87 दिनांक 09.03.2023 एवं आरटीआई पोर्टल क्रमांक 7662752718 दिनांक 09.03.2023 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू द्वारा पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/ सू0अ0 /23/359 दिनांक 22.03.2023 द्वारा अवगत कराया है कि अरुण पुत्र प्रेमसिंह, निवासी मकान नं0 40, निवासी गोवली, पो0 खुडानिया, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे 24.02.2023 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16( 4 )( 5 ) न्याय/सू0अ0/ 23/87 दिनांक 09.03.2023 एवं आरटीआई पोर्टल क्रमांक 7662752718 दिनांक 09.03.2023 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 05.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( एल0एस0कुडी )  
जिला कलक्टर, झुंझुनू